

202

माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.) केम्प भोपाल

पुनरीक्षण याचिका क्र. : निगरानी 2475-FBR-15

प्रस्तुत दिनांक :


पुनरीक्षणकर्ता - धीरज आ. कली उर्फ कलीराम जाति गवली  
निवासी झिरनाढाना, तह. चिचोली, जि. बैतूल म.प्र.  
विरूद्ध



उत्तरवादी - 1. इंदर आ. कली उर्फ कलीराम जाति गवली

(कली) \*  
गामिल \* 2.

बाबूलाल आ. कली उर्फ कलीराम जाति गवली  
दोनों निवासी केली, तह. रहटगांव, जि. हरदा म.प्र.



दिवाकर दीक्षित,  
न्यायालय, 1-8-15 को प्रस्तुत

3. प्यारीबाई बेवा सुखदेव जाति गवली

निवासी झिरना ढाना, तह. चिचोली, जि. बैतूल म.प्र.

बच्चू  
कली उर्फ कलीराम  
ग्वालियर मंडल म.प्र. ग्वालियर

4. सुंदरबाई पुत्री सुखदेव पत्नी सखाराम जाति गवली

निवासी झिरना ढाना, तह. चिचोली, जि. बैतूल म.प्र.



नरबदी बाई पुत्री सुखदेव पत्नी बालकरण जाति गवली

निवासी ग्राम बेला, तह. चिचोली, जि. बैतूल म.प्र.

गामिल \* 5.  
दिवाकर दीक्षित,  
न्यायालय, 1-8-15

6. फूलवती बाई पुत्री सुखदेव पत्नी धीरजलाल जाति गवली

निवासी जडिया, तह. चिचोली, जि. बैतूल म.प्र.

7. रामकरण आ. कली उर्फ कलीराम जाति गवली

निवासी ग्राम केली, तह. रहटगांव, जि. हरदा म.प्र.

x 8. गायत्री पुत्री कली उर्फ कलीराम पत्नी रामकरण जाति गवली

पता गलत \*  
पता गलत

निवासी चिकल्या तह. चिचोली, जि. बैतूल म.प्र.

पुरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959

न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय टिमरनी जिला हरदा के न्यायालय के रा.अ.प्र.क्र. 64 अ 6 वर्ष 12-13 ग्राम रवांग में आदेशिका दिनांक 28.06.15 जिसकी जानकारी दिनांक 07.07.15 को हुई तथा इसकी प्रमाणित प्रति दिनांक 10.07.15 को

*[Handwritten signature]*


न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 2475-पीबीआर/15

चीज / ईश

जिला हरदा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-3-2018	<p>अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से श्री अजय पाटिल, अभिभाषक एवं अनावेदक क्रमांक 2 की ओर से श्री जगदीश जैन, अभिभाषक उपस्थित। आवेदक की ओर से सूचना उपरांत भी कोई उपस्थित नहीं। तीन बार पुकार लगाई गई, फिर भी आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः प्रकरण आवेदक की अनुपस्थिति में अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p>	<p> अध्यक्ष</p>

